	भूतपूर्व सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 42/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
28/3/24	अपीलार्थी द्वारा ई-अपील एवं उक्त आक्षेपपत्र उपस्थित नहीं। रिस्पोन्डेन्ट सरकार उपस्थित। अपीलार्थी के उक्त आक्षेपपत्र को एक बार अवसर दिया गया। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली के अवलोकन से समय सारणी के अनुसार प्रकरण अपीलार्थी एवं उक्त आक्षेपपत्र को अवसर दिया गया। लेकिन फिर की कोई उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा अपील अग्रग्रामी अग्रग्रामी डिग्री अपीलार्थी के खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति नकल पक्षकार का अभिभाषक वैरायत्ती निर्णय अनुसार बैंक जमानती बाद पाबंदी तकमील खारिज समाप्त है। संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा	